न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला-पाली) राज०

पीठासीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर०ए०एस०
राजस्व वाद संख्या : 426/2018
GCMS NO. : 2018/00285

-: प्रार्थीगण :- बनाम -: अप्रार्थीगण :-

1. बहादुर सिंह पुत्र गोरधनसिंह
2. जमकु पत्नी हरी
3. सुरभानसिह पुत्र हरी
4. गोपालसिंह पुत्र हरी जातियान- रावत, निवासीगण- कानियाखेडी रास,तहसील- जैतारण जिला- पाली (राज.)

बनाम

1.जीवण पुत्र रूपसिंह
2.तेरू पुत्र रूपसिंह
3.रमती पुत्र फतेहसिंह
4.रामदीन पुत्र फतेहसिंह
5.ढगलसिंह पुत्र फतेहसिह
6.हीरालाल पुत्र फतेहसिंह गैरसायलान संख्या 4 से 6 नाबालिग जरिए कुदरती वली माता रमती के।
7.विश्राम पुत्र छोगसिंह
8.कुंदन पुत्र छोगसिंह
9.हेमदेवी पत्नी छोगसिंह गैरसायलान संख्या 7, 8 नाबालिग जरिए कुदरती वलिए माता हेमदेवी
10. उपपंजीयन अधिकारी जैतारण।

राजस्वप्रार्थना पत्रबाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 एवं आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सीपीसी
तारीख रजू:-21.08.2018

उपस्थितः-
1. श्री देवाराम कटारिया, अधिवक्ता, प्रार्थीगण।
2. श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण।

-:: निर्णय ::- **दिनॉकः- 28/07/2022**

वकील मय प्रार्थीगण ने एक राजस्व प्रार्थना बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि राजस्व मौजा रास प्रथम तहसील जैतारण में सायलान व गैरसायलान की खरीदशुदा कृषि भूमि खसरा संख्या 1552/1 रकबा 12-10 बीघा आई हुई है। जिसमें 1/2 सायलान व 1/2 हिस्से पर गैरसायलान काबिज काश्तकार है। उक्त भूमि पूर्व में गोविन्दसिंह पुत्र हणवंतसिंह जाति राजपूत निवासी रास की थी, जो मूल खसरा संख्या 1552 रकबा 50-00 बीघा किस्म बारानी थी। जिससे दिनांक 29.04.1988 को जरिए रजिस्ट्री सायलान संख्या 1 व 2 से 4 के पति व पिता हरी ने तथा गैरसायलान संख्या 1 जीवण, तेरू एवं गैरसायलान संख्या 03 से 06 के पिता फतेहसिंह व गैरसायलान संख्या 07 से 09 के पिता छोगसिंह ने जरिए रजिस्ट्री खरीद की जिसमें 1/2 हिस्सा बहादुर व हरी का 1/2 हिस्सा जीवण, तेरू, फतेहसिंह, छोगसिंह पुत्र रूपसिह का व माफिक हिस्सेनुसार आज भी सायलान 1/2 हिस्से तथा गैरसायलान 1/2 हिस्से पर माफिक हिस्से अनुसार काबिज काश्त है। उक्त रजिस्ट्री होने के बाद राजस्व

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:46:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, जैतारण, जिला-पाली

अधिकारियो ने खरीदशुदा सम्पूर्ण भूमि में जरिए म्युटेशन संख्या 2201 दिनांक 23.06.1989 को गैरसायल व उसके पिता का नाम दर्ज कर दिया। जबकि 1/2 हिस्से में सायलान व उसके पिता का 1/2 हिस्से मे बहादुर सिंह व हरी का 1/2 हिस्से में रूपसिंह के पुत्र जीवण तेरू, फतेहसिंह व छोगसिह का नाम दर्ज करना था लेकिन उन्होने सम्पूर्ण हिस्सा गैरसायलान के नाम दर्ज कर दिया। जो कि एक रोग एन्ट्री है। व रजिस्ट्री को बिना देखे गलत म्युटेशन पारित किया। जिस बाबत् कई बार राजस्व अधिकारियो को प्रार्थना पत्र भी पेश किए, व अधिकारियो ने शुद्धि कर गलती सुधारकर सायलान के नाम दर्ज करने के निर्देश भी दिए। लेकिन राजस्व अधिकारियो ने उसे स्वीकार नही किया। इसलिए सायलान उक्त रिकॉर्ड में शुद्धि कर अपने नाम बतौर खातेदार 1/2 हिस्सा में दर्ज करवाने का अधिकारी है व खातेदारी घोषणा करवाने के अधिकारी है। कई बार राजस्व अधिकारियो से निवेदन के बाद भी स्वीकार नही किया, जिसका फायदा उठाकर गैरसायलान ने मन में लालच आ गया। व दिनांक 19.08.2018 को एकराय होकर भूमि से बेदखल करने की ऐलानिया धमकी दी व कहा कि राजस्व रेकर्ड में हमारा नाम है, मो सायलान ने कहा कि उक्त हमारी खरीदशुदा जमीन है। वो नही माने व ऐलानिया धमकी दी कि हक उक्त भूमि किसी बदमाश व्यक्ति को बैचान कर देंगे। तथा नाम होने का फायदा उठा कर बैंक से ऋण ले लेंगे। जबकि उनको ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नही है। उन्हे ऐसा करने से जरिए सायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा के रूकवाने के अधिकारी व कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से रोका जावे। सायलान उक्त भूमि का जरिए रजिस्ट्री खरीददार स्वामी है व 1/2 हिस्से पर मौके पर सायलान के पक्ष में है व सुविधा का संतुलन भी सायलान के पक्ष में है। यदि जबरन गैरसायलान, सायलान को कब्जे से बेदखल कर देते है अथवा नुकसान कारित कर देते हैया फिर गैरकानूनी रूप से जमीन के स्वामी नही होते हुए रोंग एंट्री का फायदा उठा कर उक्त भूमि का ऋण आदि लेते है या भूमि का बेचान हस्तान्तरण रहन आदि कर देते है तो सायलान को असीम क्षति होगी। जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी कदर संभव नही होगी। इसलिए गैरसायलान को वाद के निर्णय तक जरिए अस्थाई निषेधाज्ञ्ज से रोका जाना आवश्यक है।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस/सम्मन तलब किया। अप्रार्थीगण संख्या 01 से 09 की ओर से वकालतनामा पेश किया किया जो शामिल मिसल है। अप्रार्थीगण संख्या 01 से 09 ने जवाब प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर कथन किया है कि प्रार्थना पत्र के पद संख्या 01 में वर्णित खसरा नम्बर 1552/1 रकबा 12 बीघा 10 बिस्वा यानि 2.0234 हैक्टेयर की भूमि राजस्व मोजा रास प्रथम तहसील जैतारण जिला पाली में आई हुई होने के कथन सही होने से स्वीकार है, [illegible] इस खसरा नम्बर 1552/1 की खातेदारी भूमि सायलान का किसी भी प्रकार का कोई कब्जा काश्त व हक अधिकार न तो कभी रहा है न ही वर्तमान में है। बल्कि इस भूमि पर वर्षो पूर्व से जवाब देहन्दागण एवं उनके पिता रूपसिंह का ही कब्जा काश्त व हक अधिकार चला आ रहा है। इस प्रकार से इस पद में सायलान ने इस भूमि पर अपना

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:46:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

कब्जा काश्त होना झूठा उल्लेखित किया है जो अस्वीकार है, कि इस प्रकरण में वास्तविकता इस प्रकार से है कि सायलान एवं गैरसायलान सभी लालसिंहजी के वंशज है। प्रस्तुत वंशावली में वर्णित बहादुरसिंह वर्ष 1988 में ही किसी अन्य महिला को लेकर रास क्षेत्र छोड़कर भाग गया था। उस दौरान उसके छोटा भाई हरीसिंह की आर्थिक स्थिति भी अत्यधिक कमजोर थी तथा हरीसिंह एवं परिवार वालो की देखभाल एवं भरण पोषण भी रूपसिंह के वारिसान जवाब देहन्दागण द्वारा ही किया जा रहा था। इसी दौरान जवाब देहन्दागण व उनके पिता रूपसिंह ने वादग्रस्त खसरा नम्बर 1252/1 रकबा 12 बीघा 10 बिस्वा की भूमि खरीद की थी। जिसके पड़ौस निम्नलिखित है कि- पूरब में- आमली वाला बेरा, पश्चिम में - विक्रेता गोविन्द सिंह की खातेदारी भूमि जो हजारी ने खरीद की, उत्तर में - नदी दक्षिण - जवाब देहन्दा की भूमि बेरा आमली वाला जाव, इस प्रकार से उपरोक्त पड़ौसो के बीच स्थित भूमि पर पूर्व से ही कब्जा यानि वक्त सेटलमेन्ट के पूर्व से कब्जा व हक अधिकार जवाब देहन्दागण के पिता रूपसिंह का चला आ रहा था एवं उक्त पड़ौसो के बीच स्थित भूमि रूपसिंह के के द्वारा ही बोई व भोगी जा रही थी। इस प्रकार से भूमि राजस्व रेकर्ड में गोविन्दसिंह के नाम दर्ज हो जाने की वजह से भविष्य में होने वाली परेशानियों से बचने के लिये जवाब देहन्दागण ने गोविन्दसिंह पुत्र हणुवत सिंह राजपूत निवासी रास वाले को 16500/- रूपये अदा करते हुये विलेख अपने पक्ष में लिखाया था। उस दौरान जवाब देहन्दागण एवं फतेहसिंह व छोगसिंह ने प्रेम व स्नेह वश अपने चाचा के बेटे बहादुर सिंह व हरीसिंह का नाम भी लिखवा दिया था लेकिन उस दौरान बहादुर सिंह व हरीसिंह ने प्रतिफल की कोई हिस्सा राशि नहीं दी थी। प्रतिफल के सम्पूर्ण राशि अदायगी जवाब देहन्द्रागण द्वारा ही की जाकर मौके पर जवाब देहन्दागण द्वारा ही कब्जा पूर्ववत यथावत रखा था। इस प्रकार से इस प्रार्थनापत्र में वर्णित खसरा नम्बर 1552/1 की भूमि में सायलन को कोई कब्जा व हक अधिकार नहीं है। कि जवाबदेहन्दागण ने गोविन्दसिंह से जो विलेख निष्पादित कर पंजीबद्ध करवाया उसमें जवाब देहन्दागण के चार हिस्से एवं प्रेम व स्नेह वश बहादुर सिंह व हरीसिंह के नाम से दो हिस्से लिखवाते हुये सभी छः जनों को बहिस्सा बराबर अंकित करवाकर दस्तावेज तहरीर व तकमील करवाया। इस प्रकार से इस प्रार्थनापत्र में वर्णित पंजीबद्ध विलेख के अनुसार भी खसरा नम्बर 1152/1 में जवाब देहन्दागण के 2/3 वा हिस्सा एवं सायलान के 1/3 वा हिस्सा ही आता है। साथ ही सायलान इस सम्पूर्ण भूमि से आउट ऑफ पजेशन है। उसके बावजूद भी सायलान ने यह निराधार प्रार्थना पत्र पेश किया है जो कतई गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 02 में वर्णित कथन व लगाये गये आरोप पूर्णतया असत्य झूठा व बेबुनियाद होने से अस्वीकार है। इस पद में वर्णित खसरा नम्बर 1552/1 की भूमि दिनांक 29.04.1988 से पूर्व ही जवाब देहन्दागण के कब्जे व हक अधिकार में चली आ रही है। मौके पर सायलान का कभी भी कोई कब्जा व हक अधिकार नही रहा है। साथ ही राजस्व रेकर्ड में भूमि गोविन्द सिंह के नाम से होने से जवाब देहन्दागण ने अपने आप को होने वाली परेशानी से बचने के लिये

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:16:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

गोविन्दसिंह को 16500/- रूपये देते हुये दस्तावेज लिखवाकर पंजीबद्ध करवाया है। इस प्रकार से इस खसरा नम्बर की भूमि सायलान का वर्ष 1988 से पूर्व एवं उसके पश्चात आज दिन तक कोई कब्जा कर व हक अधिकार नहीं रहा है। विलेख दिनांक 29.04.1988 में रूपसिंह के चारो पुत्रो व गोरधसिंह के दोनों पुत्रो सहित सभी छः जनो के बहिस्सा बराबर लिखा हुआ है उसके बावजूद भी सायलान ने अपना 1/2 वा हिस्सा होना गलत अंकित किया है। मौके पर सायलान का आज दिन तक कोई कब्जा कारत व हक अधिकार नहीं रहा है। इस प्रकार से सायलान ने अपने पास 06 बीघ 05 विस्वा भूमि कब्जे काश्त में होने बाबत झूठे तथ्य अंकित किये है जो कतई गलत होने से अस्वीकार है। नामान्तकरण संख्या 2201 वैधानिक प्रक्रिया एवं गैरसायलान के कब्जे काश्त के अनुसार सही भरा गया है। जिसे किसी भी रूप में चेलेन्ज करने का सायलान को कोई हक व अधिकार नही है, साथ ही सायलान का 1/2 वा हिस्सा व गैरसायलान का 1/2 वा हिस्सा होने से सम्बन्धित कथन भी कतई गलत है। सायलान ने बिना कब्जे काश्त व हक अधिकार के एवं बिना कब्जा प्राप्ति का अनुतोष चाहे रेकर्ड दुरुस्ती करवाने की आड़ में यह निराधार प्रार्थना पत्र पेश किया है जो काबिल खारिज के है। सायलान घोषणा का अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं है। उक्त तथ्यों के अलावा सम्पूर्ण पद असत्य होने से अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 03 में वर्णित कथन एवं लगाये गये आरोप कतई असत्य झूठे व बेबूनियाद होने से अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि जवाब देहन्दागण की सेटलमेन्ट के समय से कब्जे काश्त व हक अधिकार में होने से तथा सायलान इस भू से आउट ऑफ पजेशन होने सायलान का इस भूमि मे कोई हक व अधिकार नही है न ही कोई कब्जा काश्त है सायलान ने कब्जा प्राप्ति हेतु कोई प्रार्थना पत्र भी पेश नही किया है। साथ ही उक्त भूमि पिछले लगभग 50 से ज्यादा वर्षो से गैरसायलान के कब्जे व हक अधिकार में होने से एडवर्स पजेशन के सिद्धान्तानुसार भी जवाब देहन्दागण इस भूमि के मालिक व खातेदार स्वामी हो गये है। इस इस प्रार्थना पत्र मे वर्णित भूमि जवाब देहन्दागण की प्रकार से स्वयं की सम्पति होने से उसे बैचान हस्तान्तरण करने का भी पूर्ण रूप से हक व अधिकार प्राप्त है। जिसे सायलान न तो रूकवाने के अधिकारी है न ही स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष पाने के अधिकारी है। सायलान ने दिनांक 19.08.2018 का उल्लेख प्रार्थना पत्र पेश करने की गरज से झूठा किया है। इस प्रकार से सायलान ने अपने इस प्रार्थना पत्र में विविध मुकदमें बाजी होने तथा अपने आप को अपूर्णीय क्षति होने के कथन भी झूठे अंकित किये है। सायलान इस प्रार्थना पत्र के जरिये स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने के कतई अधिकारी नही है। उक्त तथ्यों के अलावा सम्पूर्ण पद असत्य होने से अस्वीकार है। 0 प्रार्थना पत्र के पद संख्या 6 में वर्णित कथन पूर्णतया असत्य झूठे व बेबूनियाद होने से अस्वीकार है। उपरोक्त तथ्यो व परिस्थितियो व दस्तावेजात के आधार पर प्रथम दृष्ठ्या मामला व सुविधा का सन्तुलन सायलान के पक्ष में नहीं होकर जवाब देहन्दागण के पक्ष में है। यदि इस प्रकरण में किसी भी प्रकार से स्थगन जारी किया जाता है तो अपूर्णीय क्षति भी जवाब देहन्दागण को

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:46:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

होगी। इसलिए भी सायलान की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज योग्य होने से खारिज किया जावें। अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र दस्तावेजात पेश कर निवेदन है कि सायलान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र कतई गलत होने से खारिज किया जावें।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई। पत्रावली मय दस्तावेजात, गहनता से अवलोकन किया गया। पत्रावाली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन व विधिक प्रास्थिति के आधार पर प्रकरण का बिंदूवार विवेचन एवं निर्णयन् निम्नानुसार हैः-

(01) प्रथम दृष्ट्या मामला :- वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा बाबत् वादपत्र प्रस्तुत कर हस्तगत अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत् प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम रास प्रथम में स्थित वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 1552/1 दिनांक 29.04.1988 को जरिए रजिस्ट्री प्रार्थी संख्या 01 बहादुरसिंह तथा प्रार्थी संख्या 02 व 04 के पति व पिता हरी तथा अप्रार्थी संख्या 01 जीवण व 02 तेरू तथा अप्रार्थी संख्या 03 व 06 के पिता फतेहसिंह अप्रार्थी संख्या 07 से 09 के पिता व पति छोगसिंह द्वारा क्रय की थी। जिसमें 1/2 हिस्सा बहादुरसिंह व हरी का है, 1/2 हिस्सा जीवण, तेरू, फतेहसिंह व छोगसिंह का था। माफिक हिस्सेनुसार आज भी मौके पर काबिज है। लेकिन गलती से नामान्तरण के दौरान नामान्तरण संख्या 2201 दिनांक 23.06.1989 स्वीकृत करते समय अप्रार्थीगण व उनके पिता व पति का नाम दर्ज कर दिया गया। जबकि 1/2 हिस्से में प्रार्थीगण व उसके पिता व शेष 1/2 हिस्से में अप्रार्थीगण का नाम दर्ज करना था। लेकिन सम्पूर्ण हिस्सा अप्रार्थीगण के नाम दर्ज कर दिया जिसे सही करवाने के प्रार्थीगण अधिकारी है। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है।

अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र के कथनो का खण्डन करते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थीगण का कोई कब्जा काश्त नही है वक्त रजिस्ट्री जवाब देहन्दागण व फतेहसिंह व छोगसिंह प्रेम व स्नेहवश अपने चाचा के बेटे बहादुरसिंह व हरीसिंह का नाम दर्ज करवा दिया था लेकिन उनसे कोई प्रतिफल राशि प्राप्त नही की थी। नामान्तरण संख्या 2201 वैध रूप से व सही भरा गया है। अतः प्रथम दृष्टया मामला साबित नही होता है।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी पैतृक पुश्तैनी आराजी न होकर क्रयशुदा आराजी है। उपपंजीयक जैतारण द्वारा दिनांक 29.04.1988 को पंजीकृत विक्रय विलेख के अनुसार विक्रेता श्री गोविन्दसिंह वल्द हनवन्तसिंह निवासी रास से क्रेता [illegible] जीवण, तेरू, फतेहसिंह, छोगसिंह पिसरान् रूपसिंह पाटी नम्बर 02 श्री [illegible] बहादुर पिसरान श्री गोरधन द्वारा ग्राम रास के खसरा संख्या 1552 [illegible] में से 12-10 बीघा भूमि क्रय की। जिसमें क्रेता दोनो पक्षो का एकसमान अर्थात 1/2 व 1/2 हिस्सा था। नामान्तरण संख्या 2201 द्वारा वादग्रस्त आराजी में क्रेता के रूप में केवल प्रथम पक्ष अर्थात जीवण, तेरू, फतेहसिंह व छोगसिंह का नाम दर्ज किया गया, जो आगामी भू

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:46:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

अभिलेख में भी जारी रहा। इस प्रकार प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण का वादग्रस्त आराजी में मुताबिक पंजीकृत विक्रय विलेख 1/2 हिस्सा निहित है। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित होने से यह बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

(02) सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति :– चुंकि प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित हुआ हैं, साथ ही चूंकि प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी के 1/2 हिस्से के जरिए पंजीकृत विंक्रय विलेख क्रेता है, जिनका नाम नामान्तरण के दौरान छूट गया है लेकिन इससे इनका हिस्सा समाप्त नही हो सकता, लिहाजा अपने क्रयशुदा हक हिस्से तक सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में निहित है। यदि अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया जाता है तो यह पूर्ण संभावना है कि भू अभिलेख में दर्ज प्रविष्टियो के आधार पर इनके द्वारा वादग्रस्त आराजी का रहन, बैचान, हस्तान्तरण आदि करके व्ययन किया जा सकता है जिससे वादपत्र के निस्तारण में अनावश्यक विलम्ब एवं जटिलता उत्पन्न होना स्वाभाविक है, जिससे प्रार्थीगण को ही अपूर्णीय क्षति संभव है। अतः उपर्युक्त दोनो बिन्दू भली भांति साबित होने से प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित किए जाते है।

अतः उपर्युक्त बिंदूवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र भली भांति साबित होने से इसे स्वीकार करते हुए अप्रार्थीगण को वादग्रस्त आराजी का ताफैसलावाद रहन, बैचान, हस्तान्तरण आदि नही करने तथा वर्तमान भू अभिलेख में कोई परिवर्तन नही करने बाबत् पाबन्द किया जाना पूर्णतया विधि सम्मत् एवं उचित रहेगा।

–: आदेश :–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण/वादीगण अंतर्गत धारा 212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा भली–भाँति साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे ताफैसलावाद वादग्रस्त आराजी सरहद मोजा रास पटवार हल्का रास प्रथम भू अभिलेख निरीक्षण क्षेत्र रास तहसील– जैतारंण जिला– पाली (राजस्थान) में स्थित खसरा नम्बर 1552/1 रकबा 12 बीघा 10 बिस्वा के वर्तमान भू अभिलेख में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नही करे, रहन, बैचान हस्तान्तरण आदि नही करे। पत्रावली इसी निमित निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:46:04 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जैतारण (जिला–पाली)

निर्णय आज दिनॉक 28/07/2022 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जैतारण, (जिला–पाली)